

—: सूचना :—

सूचित किया जाता है कि माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांक 21.11.2017 के अनुपालन में 02 अदद नया सिस्को सिस्टम 08 पोर्ट स्विच कय किये जाने हेतु कोटेशन प्राप्त किया जाना है। जिसका विवरण निम्नवत है।

**WS-C2960 8TC-L CISCO Switch (OFC)**

इच्छुक आवेदक अपना कोटेशन बन्द लिफाफा में नजारत अनुभाग/कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र में दिनांक 25.11.2017 के पूर्व तक प्रेषित करे। उसके बाद कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।


सिस्को सिस्टम 08 पोर्ट स्विच कय किये जाने हेतु कोटेशन के नियम व शर्तें

01. समस्त सिस्को सिस्टम 08 पोर्ट स्विच आपूर्तिकर्ता को कम्प्यूटर अनुभाग, जनपद न्यायालय सोनभद्र में स्वयं अपने व्यय/खर्च पर पहुँचाना होगा।
02. भुगतान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुदान प्राप्त होने पर ही किया जायेगा।
03. आवेदक को कोटेशन के साथ कम्प्यूटर स्टेशनरी का मुल्य तथा ब्रान्ड का नाम भी अंकित कर संलग्न करना होगा।
04. किसी कोटेशन को निरस्त करने का अधिकार जनपद न्यायाधीश सोनभद्र में निहित है इसके लिये कारण बताने हेतु जनपद न्यायाधीश सोनभद्र बाध्य नहीं होंगे।
05. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय सोनभद्र होगा।

प्रतिलिपि:— निम्नलिखित को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित

1. माननीय ओ0एस0डी0 कम्प्यूटर , माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।
2. माननीय जनपद न्यायाधीश सोनभद्र के सूचनार्थ एवं अवलोकनार्थ।
3. सिस्टम आफिसर, जनपद न्यायालय सोनभद्र को सोनभद्र की वेबसाइट पर अपलोड कराये जाने हेतु।

दिनांक 21.11.2017

  
21/11/17  
नोडल अधिकारी—कम्प्यूटर,  
जनपद न्यायालय सोनभद्र।